राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)परि/नियम/मु./2011/4286 जयपुर, दिनांकः 24/2/2020

कार्यालय आदेश....11../2020

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Writ Petition(s) (Civil) No(s) 13029/1985 (M.C. Mehta Versus Union of India & ORS.) में दिनांक 24.10.2018 को पारित निर्णय में प्रदूषण उत्सर्जन (emission) मानक बीएस–IV के समस्त वाहनों के विक्रय एवं पंजीयन के संबंध में निम्न आदेश दिये गये हैं:–

"Therefore in exercise of the power vested in this court under Article 142 of the constitution, we read down sub-rule 21 of Rule 115 and direct that sub-rule 21 of Rule 115 shall be interpreted and understood to read that no motor vehicle conforming to the emission standard Bharat- Stage- IV shall be sold or registered in the entire country with effect from 01-04-2020."

उपरोक्त के आलोक में समस्त पंजीयन अधिकारियों/अधिकृत पंजीयन अधिकारियों (वाहन डीलर) को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे वाहन जो प्रदूषण उत्सर्जन (emission) मानक बीएस–IV के है, का विक्रय एवं पंजीयन दिनांक 01 अप्रैल 2020 से नहीं किया जावें अर्थात् दिनांक 31.03.2020 तक विक्रय किये गये प्रदूषण उत्सर्जन(emission)मानक बीएस–IV के समस्त वाहनों (गैर परिवहन/परिवहन) का मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 41 के तहत पंजीयन आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2020 तक किया जावें।

समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों की पालना अक्षरशः सुनिश्चित की जावे।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक प.7(38)परि/नियम/मु./2011/4287-91 जयपुर, दिनांकः 24/2/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

Scanned by CamScanner